15 7/12 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार कुम्भलगढ़ से प्रारंभिक डिक्री की पालना मे विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस प्राप्त हुए। प्राप्त विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस पर कोई आपत्ती पेश नही होने से स्वीकार किये जाते है। विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री पत्रावली जारी हो। पालना हेतु डिक्री व स्वीकृत विभाजन फहरिस्त नक्शा ट्रेस तहसीलदार कुम्भलगढ़ को भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो कार्य हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भ
जिला-राजसमन्द